संचिका सं0–7 / MCH -35-15/2026-27–154(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 10/04/2026

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में पटना मेडिकल कॉलेज, पटना तथा बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पी०जी० में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु क्रमशः रू० 24,80,00,000/–मात्र एवं रू० 1,60,00,000/–मात्र अर्थात् कुल रू0 26,40,00,000/– (रूपये छब्बीस करोड़ चालीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–125(1), दिनांक–20.02.2014 एवं सकल्प संख्या–776(1), दिनांक–29 11.2023 एवं समय–समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय संकल्पों के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 मे पटना मेडिकल कॉलेज, पटना तथा बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनलथेरापी मे विभिन्न पाठ्यक्रमों मे पी०जी० मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु क्रमश: रू० 24,80,00,000/–मात्र एव रू० 1,60,00,000/–मात्र अर्थात् कुल रू0 26,40,00,000/– (रूपये छब्बीस करोड चालीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0001 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना तथा विभागाध्यक्ष–सह–नियत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनलथेरापी, पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनाक–17 04 1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-15/2026-27 के पृष्ठ– 04 /टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

10.4.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-15/2026-27- 154 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 10/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/विभागाध्यक्ष–सह–नियंत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/26

सरकार के अपर सचिव

Alpana